न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 367/2025 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	वनाम	विप्रार्थीगण
परबताराम पुत्र चोथाराम जाति कुम्हार, निवासी भगवानोणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 06.10.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा भगवानोणियों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 522/403 रकबा 4.0307 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी में से रकवा 0.0405 हैक्टेयर भूमि बिना किसी शर्त के राज्य सरकार के पक्ष में सर्मपण की गई है, जिसके खसरा नम्बर 616/522 रकबा 0.0405 हैक्टेयर है। उक्त पृथक सर्मपित भूमि के खसरा नम्बर में वर्तमान में सरकारी योजनांतर्गत एक सार्वजनिक ट्यूबवेल खुदवाया हुआ है, जो मौके पर मौजुद है। प्रार्थी द्वारा उक्त समर्पित करवाई गई भूमि की तरमीम मौके पर बने ट्यूबवेल तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त की स्थिति में भिन्नता आ गई है। समर्पित भूमि की तरमीम मौके पर बने कृषि ट्यूबवेल के अनुसार होनी थी, जिसके दुसरी तरफ कर दिया गया है। उक्त गलत तरमीम से मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके बने सरकारी ट्यूबवेल तथा प्रार्थी के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थी तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर समर्पित भूमि के खसरा नम्बर 616/522 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि की तरमीम में सार्वजनिक ट्यूबवेल के खुदाई में पत्थर आने से ट्यूबवेल की खुदाई पूरी नहीं की जा सकी तथा खसरा नम्बर 522/403 के दूसरे कोने पर वर्तमान में ट्यूबवेल खोदा हुआ है। ट्यूबवेल में पाइप लगाकर पूर्ण किया हुआ है। वर्तमान में मौके पर बने सार्वजनिक ट्यूबवेल स्थल की तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'अ' तैयार किया जाकर तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:29:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर, वास्तविक मौका स्थिति व मौके पर बने सरकारी ट्यूबवेल अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके

उपखण्ड अधिकारी
शिव

पर समर्पित भूमि के खसरा नम्बर 616/522 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि की तरमीम में सार्वजनिक ट्यूबवेल के खुदाई में पत्थर आने से ट्यूबवेल की खुदाई पूरी नहीं की जा सकी तथा खसरा नम्बर 522/403 के दूसरे कोने पर वर्तमान में ट्यूबवेल खोदा हुआ है। ट्यूबवेल में पाइप लगाकर पूर्ण किया हुआ है। वर्तमान में मौके पर बने सार्वजनिक ट्यूबवेल स्थल की तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'अ' तैयार किया जाकर तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर बने सरकारी ट्यूबवेल एवं कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भगवानोणियों की ढाणी, तहसील शिव में प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 522/403 रकबा 4.0307 हैक्टेयर एवं समर्पित भूमि के खसरा नम्बर 616/522 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:29:56 IST
Reason: SelfAttested